# न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

## फर्द अहकाम

7/11 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवाई गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं अतः प्र.सं. 163/16 दावा अमृतलाल बनाम मूर्ति मंदिर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)